

श्री राम गोपाल मन्दिर ट्रस्ट हमटाल तहसील इन्दौरा जिला कांगड़ा
के लेखों का लेखा परीक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ।

अवधि : 1/2000 से 12/2000 तक .

भाग-एक.

1.

गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 12.3.96 से 12/98 तक :-

इस अवधि के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के अवलोकन करने पर पाया गया कि संस्था द्वारा अनिर्णीत पड़े पेरों के निपटारे हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यह सन्तोषजनक नहीं है। अनिर्णीत पड़े पेरों के निपटारे हेतु तुरन्त आवश्यक कार्यवाही की जाए व उत्तर सटिप्पण रूप में शीघ्र इस विभाग को प्रेषित करें ताकि अनिर्णीत पड़े पेरों का शीघ्र निपटारा किया जा सके ।

पेरा	1	अनिर्णीत
पेरा	3४ क४	अनिर्णीत
पेरा	3४ ख४	अनिर्णीत
पेरा	3४ ग४	अनिर्णीत
पेरा	4	समाप्त
पेरा	5	निर्णीत
पेरा	6	निर्णीत
पेरा	7	अनिर्णीत
पेरा	8	निर्णीत
पेरा	9	अनिर्णीत
पेरा	10	अनिर्णीत
पेरा	11	अनिर्णीत
पेरा	12	अनिर्णीत
पेरा	13	अनिर्णीत
पेरा	14	अनिर्णीत
पेरा	15	अनिर्णीत
पेरा	16	अनिर्णीत
पेरा	17	अनिर्णीत

...2...

...2...

पेरा	18	अनिर्णीत
पेरा	19	अनिर्णीत
पेरा	20	अनिर्णीत
पेरा	21	अनिर्णीत
पेरा	22	निर्णीत
पेरा	23	निर्णीत
पेरा	24	अनिर्णीत

भाग-दो.

2. वर्तमान लेखा परीक्षण :-

श्री राम गोपाल मन्दिर हस्पताल के अवधि 1/2000 से 12/2000 तक के लेखों की लेखा परीक्षा जिनके परिणाम आगामी अनुच्छेदों में दिए गए हैं, श्री अमर सिंह चौधरी, अनुभाग अधिकारी तथा श्री सुवेष्टा कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 6.7.2001 से 13.7.2001 के दौरान किया गया। मास 5/2000, तथा 10/2000 के लेखों की विस्तार से पड़ताल की गई। आगामी अनुच्छेदों में वर्णित अभिलेख के सिवाए समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत किए गए।

3. लेखा परीक्षा शुल्क :-

श्री राम गोपाल मन्दिर, हस्पताल के अवधि 1/2000 से 12/2000 के लेखों के अंकिण हेतु अंकिण शुल्क की राशि रु 4466/- रु 0 की आंकी गई है। अनुभाग अधिकारी की लेखा परीक्षा अध्याचना संख्या एल.ए. ए.एस. 2001/119 दिनांक 10.7.2001 के मन्दिर अधिकारी तहसीलदार से उक्त रु 4466/- रु 0 की राशि को परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, हि 090 ब्लाक नं 38 एस. डी. ए. कम्प्लेक्स कुम्पटी शिमला - 171009 को भेजने का अनुरोध किया गया।

...3...

4.

वित्तीय स्थिति :-

श्री राम गोपाल मन्दिर हस्पताल के अवधि 1/2000 से 12/2000 तक के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है :-

1. प्रारम्भिक शेष	60911.77
2. वर्ष में आय	874562.00
3. ब्याज से आय	6677.00
4. योग	942150.77
5. व्यय	446602.37
6. अन्तिम शेष	495548.40

रिकन्सिलेशन स्टेटेमेन्ट का विवरण इस प्रकार से है :-

1. वित्तीय स्थिति के अनुसार 12/2000 को जमा राशि =	495548.40
2. पास बुक 999/10 में जमा राशि =	494898.40
3. हस्तगत राशि 12/2000 को =	650.00
4. क्रम सं० 1 से 3 तक का जोड़ =	495548.40
5. अन्तर जो पाया गया =	-शून्य-

5.

अनाधिकृत रूप से श्री दिनेश कुमार लिपिक को श्री राम गोपाल मन्दिर से यात्रा भत्ता देने बारे :-

लेखा परीक्षण के दौरान देखा गया कि श्री दिनेश कुमार लिपिक को इस मन्दिर की आय से यात्रा भत्ता अदा किया गया था। जबकि श्री दिनेश कुमार को श्री बदरी विशाल मन्दिर की निधियों से यात्रा भत्ता दिया जाना अपेक्षित था। क्योंकि श्री दिनेश बदरी विशाल मन्दिर की स्थापना के कर्मचारी है। अतः यात्रा भत्ते के रूप में जो अदायगी श्री राम गोपाल मन्दिर से की गई है उसकी वसूली श्री बदरी विशाल मन्दिर से की जाए व श्री राम गोपाल मन्दिर के खाते में जमा करवाया जाए।

24.1.2000	बस किराया	22.00
--	--	22.00

4.2.2000	बस किराया	46.00
6.3.2000	-"	46.00
7.4.2000	-"	852.00
29.5.2000	-"	470.00
3.8.2000	यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ता	322.00
5.9.2000	-"	252.00
2.11.2000	-"	126.00

6.

वार्सो 2 दिनांक 10/2000 मु0 9470.00 रु0 :-

॥ क॥ श्री कपिल केसूद, एडवोकेट को मु0 9470.00 रु0 की राशि बतौर सी. डब्ल्यू. पी. केस नं0 438/99 श्री हरभजन सिंह बनाम स्टेट आफ एच. पी. के लिए अदा की गई थी। लेकिन इसकी प्राप्ति रसीद लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसे अब प्राप्त करके आगामी आडिट पर प्रस्तुत किया जाए।

॥ ख॥ वार्सो 01 दिनांक 10/2000 मु0 8000/रु0 :-

मैसर्स शिमा मोटर इंजीनियर वर्क्स, पठानकोट से वाटर पम्प का सामान तथा मुरम्मत का खर्चा व पलम्बर के खर्चे सहित मु0 8000/रु0 की राशि व्यय की गई थी। उक्त व्यय पर निम्नलिखित आपत्तियों पाई गई है जिनका शीघ्र निवारण किया जाए।

1. सामान का स्टॉक अन्व्राज नहीं दिखाया गया।
2. भावदरें आबन्धित नहीं की गई।
3. भुगतान डी. डी. ओ. से पारित नहीं किया गया था।
4. रसीद सादे पेपर पर प्रस्तुत की गई थी जबकि रसीद प्रिंटेड फॉर्म पर रसीद टिकट सहित प्रस्तुत की जानी अपेक्षित थी।

॥ ग॥ वार्सो शुन्य दिनांक 12/20000 मु0 1277/रु0 :-

हिमाचल आटो इंजीनियरिंग से गाड़ी नं0 39-7222 की मुरम्मत करने पर व अन्य पुर्जों के बदले पर मु0 1277/रु0

की राशि खर्च की गई थी। लेकिन जब कि सारामान का स्टॉक अन्वेषण तथा पुराने पुर्जे जो कि बिके गए थे को स्टॉक में नहीं लिया गया। था। जिन्हें अब स्टॉक में लिखा जाए व अगले आडिट पर इसकी जांच करवाई जाए।

इसके अतिरिक्त यह भी देखने में आया है कि उक्त मद्रास गाड़ी नं० सच. पी. 39-7222 डी. एल. ओ. जिला भाषा अधिकारी के कार्यालय धर्मशाला जिला कांगड़ा से मन्दिर अधिकारी श्री राम गोपाल मन्दिर इमटाल को स्थानान्तरण की गई थी।

॥ घं ॥ वा.सं. पुन्य क्रि. 10/2000 मु० 432/रु० :-

श्री तुलसी दास शाप कीपर से दूध कर देने के मु० 432/रु० की राशि खर्च की गई थी। लेकिन दूध की स्टॉक प्रविष्टियां नहीं की गई थी जिन्हें अब स्टॉक में लिया जाए व अनुपालना से आगामी आडिट को अवगत करवाया जाए।

॥ ड. ॥ वा.सं० 5/6 क्रि. 12/2000 मु० 330/रु० :-

मै० जय भारत टाईप राईटर, पठानकोट से गोदरेज मशीन नं० 893016 हिन्दी तथा मशीन नं० 905625 अंग्रेजी की मरम्मत करने पर मु० 330/रु० की राशि खर्च की गई थी लेकिन मरम्मत रजिस्टर जिसमें टाईप राईटरों के मरम्मत का खर्चा भरा जाता नहीं दिखाया गया जिसे अब स्टॉक में लिया जाए व अनुपालना से आगामी आडिट पर उपलब्ध करवाया जाए।

7. ॥ क ॥ सेवा पुस्तिकाओं का पूर्ण न करना :-

कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाएं पूर्ण नहीं की गई थी। जिन्हें अब पूर्ण कर लिया जाए व जांच हेतु आगामी आडिट को दिखाया जाए।

॥ ख ॥ यात्रा भत्ता रजिस्टर का तैयार न करना :-

पूर्ण अवधि का यात्रा भत्ता रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था जिसे अब तैयार कर लिया जाए व आगामी आडिट पर प्रस्तुत किया जाए।

॥ ग ॥ टैलीफोन तथा बिजली का रजिस्टर उपलब्ध न करना :-

लेखा परीक्षण के दौरान देखा गया कि आडिट अधि का टैलीफोन रजिस्टर तथा बिजली के बिलों के रख रखाव हेतु रजिस्टर तैयार नहीं किया गया जिसे अब तुरन्त आरम्भ किया जाए ।

॥ घ ॥ किराए की वसूली :-

विभिन्न व्यक्तियों को श्री राम गोपाल मन्दिर की छाने किराए पर दे रखी थी। लेकिन जांच करने पर पाया गया कि निम्न द्वारा गए व्यक्तियों से किराया वसूल नहीं किया गया है। अतः हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेशों के अनुसार पांच वर्ष की अधि के पश्चात किराए में 10 प्रतिशत की बढ़ौतरी की जानी अनिवार्य है जो कि मन्दिर कार्यालय द्वारा नहीं की गई है। अपेक्षित कार्यवाही अब कर ली जाए ।

क्रम सं०	व्यक्ति का नाम	किराया	अधि	कुल राशि
1.	श्री मदन लाल, पुत्र श्री नारायण दास।	1433/=	8/2000 से 12/2000	1433*5=7165/-
2.	श्री हरि प्रकाश सूद श्री कुन्द लाल	7500/=	8/2000 12/2000	7500*5=37500/-
3.	श्री जगमोहन पुत्र श्री कृष्ण लाल.	1181/=	7/2000 से 12/2000	1181*6=7086/=
योग:				51751.0

उक्त किराए की वसूली हेतु तुरन्त आवश्यक धन उठाए जाएं व अनुपालना से आगामी आडिट को अवगत करवाया जाए ।

8.

॥ क ॥ मन्दिर न्यास में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या तथा उनके वेतन मान एवं भत्तों पर आने वाले व्यय के सन्दर्भ में :-

॥ 1 ॥ न्यास द्वारा मन्दिर अधिग्रहण दिनांक 3. 1. 96 के समय व मन्दिर कोष से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के 14 पद स्वीकृत किए गए ।

॥ 2 ॥ मन्दिर अधिग्रहण के बाद पदों की सं० भी 14 थी । विभिन्न पद एवं वेतनमान 1986 के लागू किए गए । ॥ केवल मन्दिर

अधिकारी को छोड़कर लेकिन यह मन्दिर सरकार द्वारा दिनांक 3. 1. 96 ले लिया गया ।

§ 3§ न्यास कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों की वृद्धि का प्रतिशत आय अनुसार अनुपातिक दृष्टि के कई गुणा बढ़ गई है। व्यवसाय मुख्य भाग कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते के साथ निर्माण कार्य है।

§ 4§. न्यास को इस वेतनमानों की स्वीकृति करने से पूर्व सरकार द्वारा कोई अनुदान राशि नहीं दी जाती थी व भविष्य में हिमाचल सरकार द्वारा इन कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों का भुगतान यथावत मन्दिर न्यास से ही वहन करने के आदेश पारित किए गए हैं व अलग से सरकार से अनुदान राशि के लिए मांग नहीं की गई है।

§ 5§ कर्मचारियों की संख्या तथा वेतनमान के सन्दर्भ में :-

क्रम सं०	पद का नाम	संख्या	वेतन
1.	लिपिक	एक	1020-1800
2.	कनिष्ठ सहायक	एक	1500-2700
3.	सेवाद्वार	एक	770-1410
4.	हैल्पर	दो	800-1455
5.	ब्रजर सहायक	एक	770-1410
6.	लांगरी	एक	800-1455
7.	क० अभ्यन्ता	एक	1800-3200
8.	चालक	एक	1020-1800
9.	कानूनगो	एक	1410-2480
10.	पुजारी	एक	1020-1800
11.	गाहें	तीन	1020-1800

उक्त द्वारा गए कर्मचारियों में से वर्तमान में कनिष्ठ अभ्यन्ता के पद पर कोई कार्यरत नहीं है।

§ 6§ अनुमानित तौर से पारित बजट की विवरण इस प्रकार है :-

1. कर्मचारियों के वेतन एवं सी. पी. एफ. पर = 400000. 00
2. कार्यलय का खर्च = 11500. 00

...४...

3. पूजा सामग्री व अन्य खर्चा	=	15000.00
4. विज्ञापनों पर खर्चा	=	5000.00
5. डीजल व गाड़ी की मरम्मत पर खर्चा	=	50000.00
6. भूमि का मामला आदि	=	2549.00
7. अधिवक्ता की फीस	=	30000.00
8. मन्दिर की मरम्मत पर आने वाला खर्चा	=	1109400.00
9. लैंगर व भण्डारे आदि पर होने वाला खर्चा	=	1000.00

वेतन पर कुल व्यय आय का लगभग 46 प्रतिशत है।

9. लघु आपत्ति विवरणिका :-
 ===== यह अलग से जारी नहीं की गई क्योंकि लघु आपत्तियों का स्थल पर ही निपटारा कर दिया गया।

10. सार :-
 ----- लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/ =

संयुक्त निदेशक,
 स्थानीय लेखा-परीक्षा विभाग,
 हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009,

पृष्ठानक संख्या: फिन॥एल.ए.॥सच॥2॥सी॥15॥14॥202/99, दिनांक 14.08.2002.
 प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. मन्दिर अधिकारी श्री राम गोपाल मन्दिर ट्रस्ट हस्पताल तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अवैधान्तिक प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें।
2. उपायुक्त कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा हि0प्र0.
3. सचिव भाषा विभाग हि0प्र0 सरकार, शिमला-2.
4. निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग हि0प्र0 शिमला-9.

के.ए.के.
 संयुक्त निदेशक,
 स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
 हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.